झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड विधान मंडल के (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2008

सत्यमेव जयते

2008

झारखंड विधान–मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2008

विषय–सूची ।

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड अधिनियम, 01, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–2006 का संशोधन।
3. झारखंड अधिनियम–01, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–2006 का संशोधन।
4. झारखंड अधिनियम–01, 2001 (यथा संशोधित अधिनियम–2006) की धारा 04 में संशोधन।

झारखंड विधान–मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2008

झारखंड विधान–मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 में संशोधन।

झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते का अवधारण करने के लिए अधिनियम–

भारत गणराज्य के 59वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

   (i). यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

   (ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii). यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम, 01, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–2006 का संशोधन– झारखण्ड विधान मंडल, (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम–01, 2001) समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम के द्वारा अध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रति माह प्रावधानित राशि 5,500/–(पांच हजार पांच सौ) रुपये के स्थान पर 10,500/–(दस हजार पांच सौ) रूपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. झारखण्ड अधिनियम, 01, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–2006 का संशोधन– झारखण्ड विधान मंडल, (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम–01, 2001) द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम के द्वारा उपाध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रति माह प्रावधानित राशि 5,000/–(पांच हजार पांच सौ) रुपये के स्थान पर 10,000/–(दस हजार) रूपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. झारखण्ड विधान मंडल पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा–VI यथा संशोधित (झारखण्ड अधिनियम–।।, 2006) की धारा–4 में संशोधन– सत्कार भत्ता के रूप में अध्यक्ष को 11,000/–(ग्यारह हजार) रुपये प्रति माह के स्थान पर 15,000/– (पन्द्रह हजार) रुपये तथा उपाध्यक्ष को 8,000/–(आठ हजार) रुपये के स्थान पर 12,000/–(बारह हजार) रुपये प्रति माह देय होगा।

वित्तीय संलेख

झारखंड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम–2001, में संशोधन कर पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का प्रावधान किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 4,00,000/–(चार लाख) रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जिसपर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

(स्टीफन मरांडी)
भार साधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

संसदीय प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था में विभिन्न विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भी सीधी भागीदारी पहले से अधिक हो गयी है। संसदीय व्यवस्था के बढ़ते दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में पदाधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विधान मंडल के पदाधिकारियों के भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करना आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसको अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(स्टीफन मरांडी)
भार साधक सदस्य